समय–सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1556/F-2017-04-03348/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 12/01/2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः– वर्ष 2016–17 के विनियोग लेख तैयार करने हेतु पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव उपलब्ध कराने बाबत्

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विनियोग लेखे वर्ष 2016–17 के संकलन का कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए **पुनर्विनियोजन/समर्पण के प्रस्ताव 31 मार्च, 2017 तक स्वीकृत कर दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक महालेखाकार कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना है।** महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुनर्विनियोजन/समर्पण संबंधी गत वर्षो में प्राप्त प्रस्तावों में पाई गई निम्नलिखित विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है –

1. प्रायः पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव सचिव स्तर से स्वीकृत न किए जाकर कुछ विभाग प्रमुखों द्वारा सीधे इस कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं, जो कि एक नियमित प्रक्रिया नहीं है ।
2. प्राप्त कुछ स्वीकृतियों में लेखे का पूर्ण विवरण यथा–आयोजना, आयोजनेत्तर, दत्तमत, भारित, मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, समूह शीर्ष, विस्तृत शीर्ष तथा उप विस्तृत शीर्ष तक का विवरण अंकित नहीं किए जा रहे हैं।
3. कुछ विभागों द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोजन/समर्पण अग्रेषण पत्र में कुल राशि (अंको एवं शब्दों में) तथा मांग संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, अपितु अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रपत्र के विवरण के आधार पर पुनर्विनियोजन/समर्पण स्वीकृति आदेश जारी किये गये थे।
4. महालेखाकार कार्यालय को भेजी गई कुछ स्वीकृतियों के साथ संलग्न पुनर्विनियोजन/समर्पण के विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में नहीं थे।
5. कुछ विभागों द्वारा समर्पण की स्वीकृतियों में उपशीर्ष स्तर पर किए गए आधिक्य की राशि को उसी शीर्ष के अन्य मद में बचत राशि से समायोजित किया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस हेतु पूर्व में ही पृथक से विस्तृत उपशीर्षवार पुनर्विनियोजन द्वारा निधि की व्यवस्था की जाना चाहिए।
6. कुछ पुनर्विनियोजन/समर्पण की स्वीकृतियों में आधिक्य/बचत के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जा गया था।
7. कुछ विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन द्वारा बड़ी मात्रा में निधियों का आवर्धन किया जाता है तथा इस निधि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए जाने के पश्चात शेष बचत राशि को अन्य योजना शीर्षो में पुनः पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है या समर्पण किया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। अतः केवल वाास्तविक व्यय हेतु पुनर्विनियोजन प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएं।

8. समर्पण की स्वीकृतियों में विभिन्न उपशीर्षो में आधिक्य की राशि को बचत राशि से समायोजित करते हुए बचत की निवल राशि हेतु समर्पण स्वीकृत किया गया था, यह त्रुटिपूर्ण है। समर्पण की स्वीकृतियों में उपशीर्ष के किसी उप विस्तृत शीर्ष में व्यय आधिक्य पाए जाने पर उसी उपशीर्ष के किसी अन्य उपविस्तृत शीर्ष के अंतर्गत हुई बचत से समायोजित करते हुए निवल बचत राशि हेतु समर्पण स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस हेतु पृथक से विस्तृत उपशीर्षवार पुनर्विनियोजन स्वीकृत किया जाना चाहिए।

9. स्वीकृतियां जारी करते समय छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पुनर्विनियोजन नियमों का विभागों द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण कुछ स्वीकृतियॉ अमान्य कर निरस्त करनी पड़ीं।

10. कुछ स्वीकृतियॉ वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात जारी की गई थी, जिन्हे अमान्य कर निरस्त करना पड़ा था। **अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृतियों को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर निर्धारित तिथि तक महालेखाकार कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए।**

कृपया महालेखाकार द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप **पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में समयावधि के भीतर** उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

पुनर्विनियोजन तथा समर्पण संबंधी निर्धारित प्रपत्र वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1505/वित्त/ब–4/2017 दिनांक 7.1.2017 द्वारा पूर्व में भेजे जा चुके हैं।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृ. क्रमांक 1557/F-2014-04-03348/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 12/01/2017

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके अर्द्ध. शासकीय पत्र कमांक रिपोर्ट–1/विनि.ले./2016–17/आर–1/234, दिनांक 03.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़। कृपया पुनर्विनियोजन/समर्पण संबंधी स्वीकृतियॉ उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से स्वीकृत कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव